न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 33/2017 **दायर दिनांकः 28.03.2017**

उनवान

1. बृजमोहन आयु 62 वर्ष पुत्र कस्तूरचन्द जाति मीणा निवासी खुरी तहसील अटरू हाल मुकाम दयाचन्द कॉलोनी कॉलेज रोड बारां जिला बारां राज0।
2. प्रेमबाई आयु 68 वर्ष पुत्री कस्तूरचन्द पत्नी नन्दकिशोर जाति मीणा निवासी खुरी तहसील अटरू हाल मुकाम काचरा तहसील अटरू जिला बारां।
3. कैलाशबाई आयु 65 वर्ष पुत्री कस्तूरचन्द पत्नी रामगोपाल जाति मीणा निवासी खुरी हाल मुकाम टारडा तहसील व जिला बारां राज0।
4. सन्तोषबाई आयु 57 वर्ष पुत्री कस्तूरचन्द पत्नी रामस्वरूप जाति मीणा निवासी खुरी हाल मुकाम ढोटी तहसील अटरू जिला बारां राज0।
5. कान्ताबाई आयु 52 वर्ष पुत्री कस्तूरचन्द पत्नी गुलाबचन्द जाति मीणा निवासी खुरी हालमुकाम मुसेनमाता मन्दिर तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादीगण

बनाम

1. सूरजमल आयु 59 वर्ष
2. धन्नालाल आयु 57 वर्ष
3. रामगोपाल आयु 34 वर्ष
4. रामस्वरूप आयु 52 वर्ष
5. मनमोहन आयु 50 वर्ष पिसरान रामकरण अकवाम मीणा सकनाऐ खुरी तहसील अटरू जिला बारां
6. अशोकबाई आयु 55 वर्ष पुत्री रामकरण पतनी स्व. रामदयाल जाति मीणा निवासी खुरी तहसील अटरू हालमुकाम खडिला तहसील अन्ता जिला बारां।
7. द्रोपतीबाई आयु 48 वर्ष पुत्री रामकरण पत्नी राजेश जाति मीणा निवासी खुरी हालमुकाम पीपलोद तहसील अटरू जिला बारां राज.।
8. द्वारकाबाई आयु 70 वर्ष पुत्री केदार जाति मीणा निवासी खुरी तहसील अटरू जिला बारां राजस्थान
9. श्योजी आयु 55 वर्ष पुत्र श्योपाल जाति मीणा निवासी खुरी तहसील अटरू जिला बारां राज0।

10. समन्द्राबाई आयु 60 वर्ष पुत्री श्योपाल पत्नी भंवरलाल जाति मीणा निवासी खुरी हालमुकाम मूण्डला तहसील अटरू जिला बारां राज0।
11. गायत्री आयु 50 वर्ष पुत्री श्योपाल पत्नी बाबूलाल जाति मीणा निवासी खुरी हालमुकाम टारडा तहसील अन्ता जिला बारां राज0।
12. मथरी आयु 48 वर्ष पुत्री श्योपाल पत्नी रामस्वरूप जाति मीणा निवासी खुरी हालमुकाम मैरमातालाब तहसील अटरू जिला बारां राज0।
13. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार तहसील अटरू जिला बारां राज0।
14. बैंक ऑफ बडौदा शाखा बारां जिला बारां जरिये शाखा प्रबंधक
15. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा अटरू जिला बारां जरिये शाखा प्रबंधक

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 आर टी एक्ट

उपस्थिति :–
वादी :– विद्वान अभिभाषक श्री रामेश्वर प्रसाद गोयल
प्रतिवादीगण :– विद्वान अभिभाषक श्री मोहनलाल सुमन

निर्णय

दिनांक 20/04/2023

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह दावा अर्न्तगत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का पेश किया है कि आराजी ख0नं0 373 रकबा 0.65 है0, ख0नं0 382 रकबा 0.56 है0, ख0नं0 386 रकबा 0.17 है0 किता 3 रकबा 1.38 है0 मौजा माल खुरी तहसील अटरू जिला बारां राजस्थान में वाके है जो मुताबिक जमाबन्दी संवत 2071 ता 73 से वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 के सहखातेदारी में स्थित है उपरोक्त आराजीयात को अबके बाद इस वाद पत्र में विवादित आराजीयात के नाम से संबोधित किया जावेगा। विवादित आराजीयात एवं अन्य आराजीयात जो भी पक्षकारान मुकदमा के संयुक्त खाते में थी की पूर्व सहखातेदारा भूलीबाई बेवा हीरालाल ने एक रजिस्टर्ड वसीयतनामा अपने हिस्से 1/5 का प्रतिवादी संख्या 1 लगा 7 के पिता स्व.श्री रामकरण जी के पक्ष में तहरीर करवाकर कार्यालय सब रजिस्ट्रार अटरू के यहां पंजीबद्ध करवाया था उक्त वसीयतनामें की रूह के मुजब भूलीबाई के हिस्से 1/5 की आराजीयात प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के पिता स्व0 श्री

रामकरण जी पुत्र हीरालाल के खाते दर्ज हुई थी यानि रामकरण का हिस्सा 1/5 तथा भूलीबाई के वसीयत से प्राप्त हिस्सा 1/5 यानी 2/5 हिस्से के सहखातेदार श्री रामकरण जी राजस्व रेकार्ड में दर्ज हो गये थे। श्रीमति भूलीबाई को उपरोक्त आराजीयात के अन्तरण के अधिकार प्राप्त नहीं थे इसलिए भूलीबाई को वसीयतनामा तहसरीर करवाने का कोई अधिकार नहीं था वादीगण के पिता श्री कस्तूरचन्द उक्त वसीयतनामें में जिसमें विवादित आराजीयात शामिल है का एक वाद संख्या 35/06 अपर जिला न्यायाधीश छबडा में दिनांक 25.05.2000 को प्रस्तुत किया था तथा उक्त वाद पत्र के माध्यम से वादीगण के पिता ने भूलीबाई द्वारा निष्पादित वसीयतनामें व वसीयतनामें के परिणामस्वरूप किये गये अमल दरामद को निरस्त किये जाने की गुहार की थी सम्मानीय अपर जिला न्यायाधीश छबडा ने अपने निर्णय में दिनांक 12.09.2007 में भूलीबाई द्वारा निष्पादित एवं रजिस्टर्ड करवाये गये दिनांक 25.10.88 को अवैध अमान्य अकृत व प्रभावशून्य घोषित करते हुये वादीगण के पिता कस्तूरचन्द के लिये बेअसर घोषित कर दिया था तथा यह घोषित किया था कि हीरालाल की वह जमीन जो भूलीबाई के पिता प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 के पिता तथा श्योपाल के पुत्र श्योजी के बांट बराबर होगी, फलस्वरूप उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में वादीगण के पिता कस्तूरचन्द का विवादित आराजीयात में 1/5 का 1/3 हिस्सा अर्थात 1/15 हिस्सा जिसे 1/5 में जोडने पर 4/15 हिस्सा होता है दर्ज होने योग्य है लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 25.12.88 को निरस्त करने के बाद भी राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद नहीं किया लिहाजा वादीगण को वाद प्रस्तुत करने की नौबत आयी। वाद कारण रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 25.11.88 को वसीयतकर्ता श्रीमति भूलीबाई का स्वर्गवास हो जाने पर उक्त वसीयतनाम के प्रभाव में आने पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के पिता रामकरण को विवादित आराजीयात का सहखातेदार दर्ज कर देने तथा वादीगण के पिता कस्तूरचन्द जी द्वारा सम्मानीय अपर जिला न्यायालय छबडा में वाद प्रस्तुत कर डिक्री हासिल कर लेने तथा सम्मानीय अपर जिला न्यायाधीश छबडा द्वारा अकृत अमान्य प्रभावशून्य घोषित कर देने के बावजूद भी राजस्व कर्मचारियों ने वादीगण व वादीगण के पिता को हिस्सा 4/15 का कृषक घोषित न करने व ना ही राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद न करने से उत्पन्न हुआ लिहाजा यही तिथी बिनाय मुखास्मत दावा हाजा करार दी जाती है। विवादित आराजीयात के भूमिधारी स्टेट ऑफ राजस्थान होने से उन्हे उक्त वाद में जरिये तहसीलदार सहब तहसील अटरू जिला बारां को पक्षकार प्रतिवादी संख्या 13 बनाया गया है वादीगण की ओर से वाद प्रस्तुति से पूर्व धारा 80 सीपीसी का नोटिस प्रेषित किया जा चुका है प्रतिवादी संख्या 1 लगा 7 विधि विरूद्ध रूप से राजस्व रिकार्ड का

लाभ उठाकर अन्तरण करने पर आमादा है यदि नोटिस की अवधि समाप्ति का इन्तजार किया तो वादीगण का वाद प्रस्तुत करना ही निरर्थक हो जायेगा। इस तमाम हालात में नोटिस की अवधि समाप्ति का इन्तजार किये बिना ही वाद प्रस्तुत किया जा रहा है और वाद की प्रस्तुति में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80(2) जाप्ता दीवानी पृथक से प्रस्तुत है। विवादित आराजीयात ग्राम खुरी तहसील अटरू जिला बारां राजस्थान में स्थित होने तथा वाद कारण भी विवादित आराजीयात को लेकर अटरू में ही उत्पन्न हुआ है। इसलिए वाद का श्रवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। वाद का मूल्यांकन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की तृतीय अनुसूचि के मुजब किया जाकर यह वाद पत्र उचित न्यायशुल्क 2.00 रूपये पर पेश है। वाद अवधि मध्य पेश है। वाद नवीन दीवानी प्रकिया संहिता के दो प्रतियों में पेश है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेन है कि वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के विरूद्ध निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे– कि वाद पत्र के मद नं0 1 में वर्णित विवादित आराजीयात में वादीगण को संयुक्त रूप से हिस्सा 4/15 का सहखातेदार एवं कृषक घोषित किया जाकर तदानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 को जरिर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से सास्वत काल के लिये पाबन्द फरमाया जावे कि वह विवादित आराजीयात को कहीं रहन बैय व अन्य किसी प्रकार से अन्तरित न करें ना ही अन्तरण से संबंधित दस्तावेज निष्पादित करावे और ना ही राजस्व रेकार्ड में अमल रामद करावे। वाद व्यय एवं अन्य न्यायोचित सहायता जो करीने इन्साफ मुफीद वादीगण को अता फरमाई जावे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादी क्रम 1 ता 7 द्वारा जवाब दावा मय प्रतिवाद पत्र पेश कर कथन किया गया कि वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजीयात ग्राम मोज्या खुरी तहसील अटरू में शामलाती खाते की स्थित होना होना स्वीकार है जिसको स्वयं वादीगण ने विवादित बना रखा है। वाद पत्र की मद नं0 2 जिस तरह से लिखा है स्वीकार नहीं है। प्रतिवादी क्रम 1 लगा 7 अपने हिस्से की आराजी को शान्तिपूर्वक काश्त कर रहे है लेकिन वादीगण ने अपने हिस्से से दुगनी आराजी अपने कब्जे काश्त में ले रखी है जिस पर से वादीगण को बेदखल करा पाने के प्रतिवादीगण अधिकारी है तथा कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है। वाद पत्र का मद नं0 3 आंशिक रूप से स्वीकार है दिनांक 12.02.2007 को न्यायालय एडीजे साहब छबडा फास्टट्रेक से वसीयतनामा दिनांक 25.11.1988 को अवैध अमान्य शून्य घोषित किया गया था लेकिन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.02.2007 की पालना डिक्री की तारीख से 12 वर्ष तक नहीं हुई इस वजह से न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.02.2007 प्रभावहीन हो चुका

है। अब निर्णय एवं डिक्री की पालना की समयावधि समाप्त होने के बाद उस निर्णय को कोई महत्व नहीं बचता हे। निर्णय दिनांक 12.02.2007 प्रभावहीन हो चुका है। वाद पत्र का मद नं0 4 पूरा ही अस्वीकार है। न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधी महोदय छबडा का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.02.2007 (Infectious) प्रभावहीन हो चुका है। इस वजह से वादीगण माननीय न्यायालय में राजस्व रिकार्ड में हेराफेरी की घोषणा नहीं करा सकते है, अपने राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से को ही वह प्राप्त कर सकते है। वाद पत्र का मद नं0 5 आंशिक रूप से स्वीकार है। प्रतिवादीगण किसी भी प्रकार से आराजी को खुद्र बुर्द नहीं कर रहे है। वाद पत्र का मद नं0 6 कानूनी है। वाद पत्र की मद नं0 7 कानूनी है। वाद पत्र का मद नं0 8 स्वीकार है। वादीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष स्वीकार नहीं है।

विशेष कथन मय प्रतिवाद पत्र

वादीगण द्वारा उक्त उनवान का दावा माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधी महोदय छबडा (फास्टट्रेक) के निर्णय दिनांक 12.02.2007 की पालना कराने बाबत पेश किया है जबकि निर्णय एवं डिक्री की पालना उसी न्यायालय द्वारा करायी जानी थी जिसने निर्णय व डिक्री पारित की है तथा डिक्री की पालना की अधिकतम अवधि 12 वर्ष की होती है और वादीगण द्वारा मियाद के अन्दर निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.02.2007 की पालना नहीं कराने से निर्णय दिनांक 12.02.2007 की पालना नहीं कराने से निर्णय दिनांक 12.02.2007 न्यायालय एडीजे साहब छबडा फास्टट्रेक प्रभावहीन (Infectious) हो चुका है। अब निर्णय दिनांक 12.02.2007 की पालना नहीं हो सकती और वादीगण का मुख्य आधार निर्णय दिनांक 12.02.2007 ही है। इस वजह से वादीगण का वाद Maintanable नहीं होने की वजह से खारिज फरमाया जावे। वादीगण द्वारा वर्तमान में ख0नं0 373 का पूरा रकबा 0.65 है0 पर कब्जा कर रखा है जबकि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से के मुताबिक वादीगण का 1/5 हिस्सा अर्थात 0.35 है0 ही बनता है। इस वजह से प्रतिवादी क्रम 1 लगा 7 जवाब दावा मय प्रतिवाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करते है कि वादीगण का वाद चलने योग्य नहीं होने की वजह से खारिज फरमाया जावे तथा प्रतिवादीगण का प्रतिवाद पत्र स्वीकार फरमाया जाकर राजस्व रिकार्ड वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज हिस्से के मुताबिक वाद पत्र के मद नं0 1 में वर्णित आराजी का विभाजन किया जाकर वादीगण का 1/5 हिस्सा अर्थात 0.35 है0 आराजी वादीगण के अलग से खाते दर्ज की जावे, शेष आराजी जो वादीगण के कब्जे काश्त में है पर से वादीगण को बेदखल किया जाकर कब्जा प्रतिवादीगण को दिलाया जावे तथा वादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे उनके हिस्से की आराजी के अलावा शेष आराजी को प्रतिवादीगण को शान्तिपूर्वक काश्त करने देवे।

प्रतिवाद पत्र पेश करने का कारण दिनांक 08.03.2018 को वादीगण द्वारा पेश वाद पत्र हाजिर अदालत में आये तथा वाद पत्र की जानकारी हुई से प्रतिवाद पत्र अवधि मध्य पेश हैं प्रतिवाद पत्र उचित न्याय शुल्क पर पेश हे। अतः माननीय न्यायालय में प्रतिवादी क्रम 1 लगा 7 जवाब दावा मय प्रतिवाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करते है कि वादीगण का वाद पत्र खारिज फरमाया जावे तथा प्रतिवादी क्रम 1 ला 7 का प्रतिवाद पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वाद पत्र के मद नं0 1 में दर्ज हिस्से के मुताबिक वादीगण का 1/5 हिस्सा अर्थात 0.35 है0 आराजीयात का विभाजन किया जाकर पृथक से वादीगण के खाते दर्ज किया जाकर कब्जा प्रतिवादीगण को दिलाया जावे।

3. प्रतिवादी क्रम 8 ता 15 वाबजूद सूचना उपस्थित नहीं होने के कारण मुताबिक आदेशिका दिनांक 22.03.2018 उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

4. वादीगण द्वारा प्रतिवादी क्रम 1 लगा 7 के जवाब दावा मय प्रतिवाद पत्र का जवाब उल जवाब पेश कर कथन किया गया कि विशेष कथन प्रतिवाद पत्र की मद नं0 1 जिस प्रकार लिखी गई है स्वीकार नहीं है। निष्पादन कार्यालय वसीयत नामा भूलीबाई को सब रजिस्ट्रार द्वारा निरस्त करवा दिया तथा इसके संबंधित प्रविष्टियां सब रजिस्ट्रार अटरू के रेकार्ड में हो चुकी है। विशेष कथन प्रतिवाद पत्र की मद नं0 2 अस्वीकार है। वादीगण का वाद पत्र के मद नं0 1 में वर्णित विवादित आराजीयात पर हिस्सा 4/15 बनता है जिसे वे राजस्व रिकार्ड में अपने नाम दर्ज करा पाने के अधिकारी है और यही अनुतोष दावे के माध्यम से कर प्रतिवाद पत्र के माध्यम से चाहा गया अनुतोष प्रकरण के तथ्यों परिम्मितियों में प्रदत्त नहीं किया जा सकता। विशेष कथन प्रतिवाद पत्र की मद नं0 3 अस्वीकार है। प्रतिवादीगण को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है। इस मद में वर्णित वाद कारण के आधार पर प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम मेनटेनेबल भी नहीं हैं विशेष कथन प्रतिवाद पत्र की मद नं0 4 अस्वीकार है। प्रार्थना जो काउन्टर क्लेम के माध्यम से चाही गई है। वही भी स्वीकार नही है।

विशेष कथन

काउन्टर क्लेम में लिखे गये Allegation वास्तविक स्थिति के परे है। काउन्टर क्लेम के माध्यम से चाहा गया अनुतोष इस कार्यवाही के माध्यम से क्लेम नहीं किया जा सकता। काउन्टर क्लेम पेश करने का कोई कारण उत्पन्न नहीं होने से काउन्टर क्लेम काबिले खारिज है। काउन्टर क्लेम का मूल्यांकन न करने से काउन्टर क्लेम काबिले खारिजी है। अतः जवाब काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम मय हर्जा खर्चा खरिज फरमाया जावे।

5. दावा व जवाब दावा के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई–

तनकी नं0 1– आया वादीगण उपरोक्त प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है।

वादीगण

तनकी नं0 2– आया न्यायालय एडीजे छबडा पारित निर्णय दिनांक 12.02.2007 वर्तमान में प्रभावी नहीं होने से वादीगण वाद बहिष्कृत किये जाने योग्य है।

प्रतिवादी

तनकी नं0 3– अनुतोष क्या होगा।

6. वादीगण द्वारा अपने समर्थन में मौखिक साक्ष्य में पीडबल्यू 1 ब्रजमोहन के बयान कराये एवं दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में ग्राम खुरी की नामांतरण पंजिका दिनांक 30.06.1991 प्रदर्श पी–1, ग्राम खुरी की जमाबंदी संवत 2036–2039 प्रदर्श पी–2, भू प्रबंध विभाग का ग्राम खुरी का मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श पी–3, भू प्रबंध विभाग की ग्राम खुरी की जमाबंदी प्रदर्श पी–4, ग्राम खुरी की जमाबंदी संवत 2070–2073 प्रदर्श पी–5, मृतक भूलीबाई का रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 25.11.1988 प्रदर्श पी–6, न्यायालय एडीजे कोर्ट छबडा के निर्णय दिनांक 12.02.2007 की सत्य प्रतिलिपि प्रदर्श पी–7, ग्राम खुरी की जमाबंदी संवत 2066–2069 प्रदर्श पी–9, ग्राम खुरी की जमाबंदी संवत 2066–2069 प्रदर्श पी–10, ग्राम खुरी की जमाबंदी संवत 2066–2069 प्रदर्श पी–11 पेश कर प्रर्दशित कराये।

7. प्रतिवादी क्रम 1 ता 7 ने अपने समर्थन में मौखिक साक्ष्य में डीडब्ल्यु 1 सूरजमल व डीडब्ल्यु 2 धन्नालाल के बयान कराये।

8. विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई। बहस के परिपेक्ष्य में पेश दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। अभिभाषक वादीगण एवं अभिभाषक प्रतिवादी क्रम 1 ता 7 ने तनकी वार बिन्दुओं पर बहस करने के बजाये आपसी सहमति के आधार पर न्यायालय एडीजे कोर्ट छबडा के वसीयतनामा दिनांक 25.11.1988 के संबंध में निर्णय दिनांक 12.02.2007 को स्वीकार कर मृतक वसीयतकर्ता भूलीबाई की वसीयत को शुन्य एवं अवैध मानकर वसीयतकर्ता के हिस्से 1/5 की आराजी, जो कि पूर्व मे ही प्रतिवादीगण 1 ता 7 के खाते दर्ज रिकार्ड हो चुकी है, को मृतक भूलीबाई के सभी कानूनी वारिसानों में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार विभाजित करने का निवेदन किया, जिसे न्यायहित में आंशिकतः स्वीकार किया गया।

9. न्यायालय एडीजे कोर्ट छबडा के निर्णय दिनांक 12.02.2007 के अवलोकन से स्पष्ट है कि न्यायालय ने मृतका भूलीबाई द्वारा प्रतिवादीगण 1 ता 7 के पिता रामकरण के पक्ष में की गई रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 25.11.1988 को अवैध, अमान्य, अकृत व प्रभाव शून्य घोषित किया गया है। यद्यपि न्यायालय एडीजे कोर्ट छबडा के निर्णय दिनांक 12.02.2007 को आज 12 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है और निर्णय की आज दिनांक तक पालना नहीं हुई है। **अतः धारा 48 सीपीसी 1908 एवं आर्टिकल 136 लिमिटेशन एक्ट 1963 के प्रावधानों** के अुनसार किसी सिविल न्यायालय के आदेश व डिक्री की पालना की अधिकतम अवधि 12 वर्ष निर्धारित की गई है। अर्थात् 12 वर्ष की समाप्ति के बाद सिविल न्यायालय का आदे/डिक्री Enforceable नहीं रहती है। उक्त प्रकरण में वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 ता 7 ने आपसी सहमति से न्यायालय एडीजे कोर्ट छबडा के निर्णय दिनांक 12.02. 2007 को स्वीकार किया है। अतः वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 ता 7 की आपसी सहमति के आधार पर न्यायालय एडीजे कोर्ट छबडा के निर्णय दिनांक 12.02.2007 अनुसार मृतक भूलीबाई के रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 25.11.1988 को अवैध व प्रभावषून्य घोशित किया जाता है।

10. अभिभाषक वादीगण एवं अभिभाषक प्रतिवादी क्रम 1 ता 7 ने आपसी सहमति से मृतका भूलीबाई के मूल हिस्से 1/5 को हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार मृतका के कानूनी वारिसान में समान रूप से विभाजित करने का निवेदन किया है। वादपत्र एवं जवावदावा मय प्रतिवादपत्र के अनुसार मृतका भूलीबाई के कानूनी वारिसान में 4 पुत्र – केदार, श्योपाल, रामकरण व कस्तूर है। यह स्पष्ट है कि वादीगण व प्रतिवादीगण मीणा जाति से है और हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 2 की उपधारा 2 के अनुसार ऐसी जनजाति के सदस्य जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खण्ड 25 के अर्थ में अनुसूचित जनजाति हो, पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 लागु नहीं होगा। ऐसी जनजातियां पुरानी हिन्दु विधि से गवर्न होंगी। राजस्थान में हिन्दु उत्तराधिकार विधि की मिताक्षरा विधि लागू होती है। उक्त प्रकरण में वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 ता 7 आपसी सहमति से विवादित आराजी को मृतका भूलीबाई के सभी कानूनी वारिसानों में बाराबर विभाजित कराना चाहते है और माननीय राजस्व मण्डल एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा अपने कई निर्णयों में मीणा जनजाति पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 संशोधित अधिनियम 2005 को लागू माना है। **अतः मृतका भूलीबाई के विवादित आराजी में मूल हिस्से 1/5 को उसके सभी कानूनी वारिसानों यानी चारों पुत्रों में बराबर–बराबर यानी 1/20–1/20 भाग विभाजित किया जाता है।** ग्राम खुरी की जमाबंदी संवत 2066–2069 प्रदर्श पी–11 के अनुसार रामकरण पुत्र हीरालाल

फोत होकर इनकी जगह इनके वारिसान प्रतिवादी क्रम 1 ता 7 राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुके है। इसी प्रकार कस्तूर पुत्र हीरालाल फोत होकर इनके स्थान पर इनके वारिसान वादीगण राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुके है। केदार पुत्र हीरालाल फोत होकर इनकी जगह इनके कानूनी वारिसान प्रतिवादी क्रम 8 रिकार्ड में दर्ज हो चुकी है। श्योपाल पुत्र हीरालाल फोत होकर इनकी जगह इनके वारिसान प्रतिवादी क्रम 9 ता 12 राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुके है। **उपरोक्त विवेचन के आधार पर मृतका भूलीबाई के मूल हिस्से 1/5, जो कि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी क्रम 1 ता 7 के खाते दर्ज है, को खारिज करते हुए पुनः मृतका भूलीबाई के सभी कानूनी वारिसानों में एक समान रूप से विभाजित कर वादीगण को 1/20 भाग, प्रतिवादी क्रम 1 ता 7 को 1/20 भाग, प्रतिवादी क्रम 8 को 1/20 भाग एवं प्रतिवादी क्रम 9 ता 12 को 1/20 भाग पर खातेदार कृषक घोषित किया जाता है।**

11. चूंकि प्रतिवादी क्रम 1 ता 7 के खाते दर्ज मृतका भूलीबाई के हिस्से 1/5 को उभयपक्षकारान की सहमति से खारिज किया जाकर सभी कानूनी वारिसान में एक समान रूप से 1/20 – 1/20 भाग पर खातेदार कृषक घोषित किया गया है और उभयपक्षकारान द्वारा बहस के दौरान विवादित आराजी पर वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 ता 7 का कब्जा काश्त होना स्वीकार किया है। अतः यदि प्रतिवादी क्रम 1 ता 7 राजस्व रिकार्ड में मृतका के हिस्से पर अपने नाम दर्ज होने मात्र का अनुचित फायदा उठाकर विवादित हिस्से को कहीं बेचान,दान या अन्य अन्त्रण करते है और वादीगण को कब्जे से बेदखल करते है तो वादीगण व प्रतिवादी क्रम 8 ता 12 के हक व अधिकार अतिक्रमित होंगे, जिससे वादीगण व प्रतिवादी क्रम 8 ता 12 को न केवल अपूर्णीय क्षति उठानी पडेगी बल्कि विवादित आराजी को लेकर वाद बहुलता भी बढेगी। धारा 188 आरटीएक्ट के प्रावधान निम्नानुसार है – Section 188- Injunction against wrongful ejectment:- (1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invsded or threatered to be invaded by his landlord or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction. (2) The court may after making the necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following case, namely: - (a) if there exists no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion; (b) if the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief; (c) where it

is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion; (d) where the injunction is necessary to prevent multiplicity of proceedings

अतः प्रतिवादी क्रम 1 ता 7 को अन्तर्गत धारा 188 आरटीएक्ट जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वे उक्त आदेश व डिक्री पालना होने तक विवादित आराजी में से मृतका के मूल हिस्से 1/5 का कहीं बेचान, दान या हकत्याग नहीं करें।

12. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण, उभयपक्षकारान की आपसी सहमति एवं पेश दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर ग्राम खुरी की विवादित आराजी कुल किता 3 कुल रकबा 1.38 है0 के संबंध में वादीगण का वाद स्वीकार किये जाने और प्रतिवादी क्रम 1 ता 7 का प्रतिवादपत्र खरिज किया जाने योग्य है।

—:क्रियात्मक आदेशः—

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण, उभयपक्षकारान की आपसी सहमति एवं पेश दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार और प्रतिवादी क्रम 1 ता 7 का प्रतिवादपत्र खरिज किया जाता है। ग्राम खुरी की विवादित आराजी खसरा न. 373 रकबा 0.65 है0, ख.न. 382 रकबा 0.56 है0, ख. न. 386 रकबा 0.17 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.38 है0 में प्रतिवादी क्रम 1 ता 7 के खाते दर्ज 2/5 हिस्से में से जर्ये वसीयतनामा दिनांक 25.11.1988 दर्ज हुए 1/5 हिस्से पर वादीगण को 1/20 भाग, प्रतिवादी क्रम 1 ता 7 को 1/20 भाग, प्रतिवादी क्रम 8 को 1/20 भाग एवं प्रतिवादी क्रम 9 ता 12 को 1/20 भाग पर खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। प्रतिवादी क्रम 1 ता 7 को विवादित आराजी में से अपने खाते दर्ज 2/5 हिस्से में से पालना होने तक 1/5 भाग के बेचान, दान, आदि न करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है। तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक **20/04/2023** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)
बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 33/17 **दायर दिनांकः 28/03/2017**

उनवान

1. बृजमोहन आयु 62 वर्ष पुत्र कस्तूरचन्द जाति मीणा निवासी खुरी तहसील अटरू हाल मुकाम दयाचन्द कॉलोनी कॉलेज रोड बारां जिला बारां राज0।
2. प्रेमबाई आयु 68 वर्ष पुत्री कस्तूरचन्द पत्नी नन्दकिशोर जाति मीणा निवासी खुरी तहसील अटरू हाल मुकाम काचरा तहसील अटरू जिला बारां।
3. कैलाशबाई आयु 65 वर्ष पुत्री कस्तूरचन्द पत्नी रामगोपाल जाति मीणा निवासी खुरी हाल मुकाम टारडा तहसील व जिला बारां राज0।
4. सन्तोषबाई आयु 57 वर्ष पुत्री कस्तूरचन्द पत्नी रामस्वरूप जाति मीणा निवासी खुरी हाल मुकाम ढोटी तहसील अटरू जिला बारां राज0।
5. कान्ताबाई आयु 52 वर्ष पुत्री कस्तूरचन्द पत्नी गुलाबचन्द जाति मीणा निवासी खुरी हालमुकाम मुसेनमाता मन्दिर तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

1. सूरजमल आयु 59 वर्ष
2. धन्नालाल आयु 57 वर्ष
3. रामगोपाल आयु 34 वर्ष
4. रामस्वरूप आयु 52 वर्ष
5. मनमोहन आयु 50 वर्ष पिसरान रामकरण अकवाम मीणा सकनाऐ खुरी तहसील अटरू जिला बारां
6. अशोकबाई आयु 55 वर्ष पुत्री रामकरण पतनी स्व. रामदयाल जाति मीणा निवासी खुरी तहसील अटरू हालमुकाम खडिला तहसील अन्ता जिला बारां।
7. द्रोपतीबाई आयु 48 वर्ष पुत्री रामकरण पत्नी राजेश जाति मीणा निवासी खुरी हालमुकाम पीपलोद तहसील अटरू जिला बारां राज.।
8. द्वारकाबाई आयु 70 वर्ष पुत्री केदार जाति मीणा निवासी खुरी तहसील अटरू जिला बारां राजस्थान
9. श्योजी आयु 55 वर्ष पुत्र श्योपाल जाति मीणा निवासी खुरी तहसील अटरू जिला बारां राज0।
10. समन्द्राबाई आयु 60 वर्ष पुत्री श्योपाल पत्नी भंवरलाल जाति मीणा निवासी खुरी हालमुकाम मूण्डला तहसील अटरू जिला बारां राज0।
11. गायत्री आयु 50 वर्ष पुत्री श्योपाल पत्नी बाबूलाल जाति मीणा निवासी खुरी हालमुकाम टारडा तहसील अन्ता जिला बारां राज0।

12. मथरी आयु 48 वर्ष पुत्री श्योपाल पत्नी रामस्वरूप जाति मीणा निवासी खुरी हालमुकाम मैरमातालाब तहसील अटरू जिला बारां राज0।

13. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार तहसील अटरू जिला बारां राज0।

14. बैंक ऑफ बडौदा शाखा बारां जिला बारां जरिये शाखा प्रबंधक

15. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा अटरू जिला बारां जरिये शाखा प्रबंधक

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 आर टी एक्ट

बहाजिर :–
वादी :– विद्वान अभिभाषक श्री रामेश्वर प्रसाद गोयल।
प्रतिवादी :– विद्वान अभिभाषक श्री मोहनलाल सुमन

मिनजानित मुदई रूबरू .....X.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। ग्राम खुरी की विवादित आराजी खसरा न. 373 रकबा 0.65 है0, ख.न. 382 रकबा 0.56 है0, ख. न. 386 रकबा 0.17 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.38 है0 में प्रतिवादी क्रम 1 ता 7 के खाते दर्ज 2/5 हिस्से में से जर्ये वसीयतनामा दिनांक 25.11.1988 दर्ज हुए 1/5 हिस्से पर वादीगण को 1/20 भाग, प्रतिवादी क्रम 1 ता 7 को 1/20 भाग, प्रतिवादी क्रम 8 को 1/20 भाग एवं प्रतिवादी क्रम 9 ता 12 को 1/20 भाग पर खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। प्रतिवादी क्रम 1 ता 7 को विवादित आराजी में से अपने खाते दर्ज 2/5 हिस्से में से पालना होने तक 1/5 भाग के बेचान, दान, आदि न करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है। तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज .....X..... मुबालिक .....X..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....X..... ..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X..... अदा करूंगा।
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 20.04..2023 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)